कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

दिनांकः– 26/08/2021

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 675.

–ःकार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 06/2021 वीं बैठक दिनांक 11.08.2021 व 12.08.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :– (11.08.2021)

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2021 वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 379/9 रकबा 01.10.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– अम्बिका विकास संस्थान जरिये सचिव डॉ. दीपक श्रीवास्तव पुत्र श्री स्वामी प्रसाद श्रीवास्तव

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार सडक मार्गाधिकार निर्धारण हेतु आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 80 फीट रखते हुए सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
2. उपरोक्त 80 फीट सडक मार्गाधिकार को जोन पूर्व के प्रकियाधीन जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकन कराया जावें।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक :प.18(25)नदिवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 3 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 31/2, 31/4 रकबा 12.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमती सुवटी पत्नी श्री भीकाराम, श्री जसाराम पुत्र श्री भीकाराम, श्री माघवराम पुत्र श्री सुरजाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि के सामनें 120 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार 120 फीट रखते हुए सडक मध्य से 60 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम अलकदडा के खसरा संख्या 8/1, 8/2 रकबा 02.04.05 बीघा के वेयरहाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री प्रेमाराम एवम् श्री रामलाल पुत्र श्री शंकरलाल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 80 फीट करने हेतु प्रार्थी की भूमि में से 10 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. उपरोक्त 80 फीट सडक मार्गाधिकार को जोन पूर्व के प्रकियाधीन जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकन कराया जावें।
3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल 19.59 वर्गमीटर के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावें।
4. आवेदक द्वारा कृषि आधारित वेयर हाउस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः संबंधित विभाग/एजेन्सी से रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवानें के उपरांत ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई

विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 1468 रकबा 16.00.00 बीघा में से 07.14.02 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री बक्साराम पुत्र श्री पनाराम, श्रीमती चन्दरकी पत्नी श्री पनाराम, श्री फुसाराम पुत्र श्री भैराराम, श्री भगवानराम पुत्र केहराराम, श्री रणछोडराम पुत्र श्री केहराराम, श्री गोविन्दराम पुत्र श्री केहराराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।
2. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित विद्युत लाईन के संबंध में क्षमता एवं स्थिति बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावें।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायलय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 267/1, 267/3 रकबा 09.19.13 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री गोपाल मेघवाल पुत्र श्री बाबुलाल मेघवाल एवंम् श्री पिन्टू कुमार मेघवाल पुत्र श्री बाबुलाल मेघवाल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित खसरा संख्या 267 से 40 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर दो कमरे व पानी का टांका निर्मित है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 7 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 533 रकबा 12.02.00 बीघा मौका अनुसार उपलब्ध रकबा 10.01.18 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती डॉ. पंकज श्रीवास्तव पत्नी श्री डॉ. दीपक श्रीवास्तव

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आंपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 80 फीट रखते हुए सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
2. उपरोक्त 80 फीट सडक मार्गाधिकार को जोन पूर्व के प्रक्रियाधीन जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकन कराया जावें।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 8 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम झालामण्ड शान्ति प्रिया नगर के खसरा संख्या 244, 244/1, 244/2 में आरक्षित ओ.सी.एफ/सुविधा क्षेत्र क्षैत्रफल 4958.44 वर्गमीटर में से 2479.22 वर्गमीटर अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– प्राधिकरण क्षेत्र के जाने पूर्व में निजी आवासीय योजनाओं ओ.सी.एफ आरक्षित भूमि के संबंध में।

निर्णय :— उक्त योजना में 4958.44 वर्गमीटर भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की गयी है जिसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल 2479.22 वर्गमीटर प्राप्त होता है। उक्त भूमि को शैक्षणिक/चिकित्सा प्रयोजनार्थ हेतु नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही एवं इसका इन्द्राज जे.डी.ए के भूमि बैंक/प्रॉपर्टी रजिस्टर में किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें।

एजेण्डा संख्या 9 :— (11.08.2021) जोन—पूर्व

विषय :— राजस्व ग्राम बांवरला के खसरा संख्या 722 रकबा 25.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :— मानव कल्याण विकास संस्थान जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोगादेवी पत्नी श्री सुखदेवराम चौधरी

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार 100 फीट सडक मार्गाधिकार हेतु आवेदित खसरा संख्या 722 व राजस्व रास्ते के मध्य स्थित खसरा संख्या 722/1 की अकृषि भूमि में से आवश्यक भूमि समर्पण करवायी जावें, तत्पश्चात् जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार उक्त रास्ते का मार्गाधिकार 100 फीट निर्धारित करने हेतु आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सडक मार्गाधिकार में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :— (11.08.2021) जोन—पूर्व

विषय :— राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 71/5 रकबा 09.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :— श्री विरेन्द्र कुचेरिया पुत्र स्व. श्री मोहनलाल कुचेरिया व सुश्री प्रियंका कुचेरिया पुत्री श्री विरेन्द्र कुचेरिया

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि की जॉच पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में जोन उपायुक्त द्वारा की जाकर उपायुक्त व उप नगर नियोजक द्वारा संयुक्त मौका निरक्षण कर संम्पूर्ण योजना का क्षेत्रफल विश्लेषण उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 11 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 435, 435/1, 435/2 रकबा 11.00.12 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री कालुराम पुत्र श्री खींयाराम, श्री जुगाराम पुत्र श्री खींयाराम, श्री घीसाराम पुत्र श्री धन्नाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित खसरा संख्या 435/2 से 60 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त रास्ता पूर्व अनुमोदित योजना में से गुजर रही एच.टी. लाईन के नीचे प्रस्तावित है अतः आवेदित भूमि में एच. टी. लाईन के सैफ्टी कॉरीडोर उपरान्त दोनो तरफ 30–30 फीट सडक का प्रावधान रखा जावें।
2. आवेदित भूमि का आंशिक भाग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार पी.यू के अन्तर्गत आरक्षित है। अतः योजना मानचित्र में अंकित करवाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 135/77/3 रकबा 02.09.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को 100 फीट कटाण मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के पीछे जोजरी नदी स्थित है, अतः नदी के सहारे नदी के मुटाम पश्चात 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
2. राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि व सडक के मध्य अन्य सरकारी भूमि स्थित हैं अतः उक्त भूमि की नियमानुसार राशि प्रार्थी से जमा करवायी जावें।
3. प्रकरण में आवेदित भूमि के मध्य से मौका अनुसार अन्य डामर सड़क गुजर रही है, उक्त सड़क के स्वामित्व, राजस्व रिकॉर्ड एवं आस पास के खातेदारों की पहुँचमार्ग के संबंध में जॉच कर टिप्पणी/जॉच रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
4. आवेदित भूमि के मानचित्र को जोजरी नदी के मुटाम एवं राजस्व सडक के परिप्रेक्ष्य में पुनः सुपरईम्पोज करवाया जावें।
5. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार होटल तथा मोटल प्रयोजनार्थ प्रस्तावित एकल पट्टों के प्रकरणों में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित कि जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उक्त क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर से राशि वसूल की जावें।

6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 135/77 रकबा 02.09.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री रूपाराम पुत्र अजाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को 100 फीट कटाण मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के पीछे जोजरी नदी स्थित है, अतः नदी के सहारे नदी के मुटाम पश्चात 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
2. राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि व सडक के मध्य अन्य सरकारी भूमि स्थित हैं अतः उक्त भूमि की नियमानुसार राशि प्रार्थी से जमा करवायी जावें।
3. आवेदित भूमि के मानचित्र को जोजरी नदी के मुटाम एवं राजस्व सडक के परिप्रेक्ष्य में पुनः सुपरईम्पोज करवाया जावें।
4. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार होटल तथा मोटल प्रयोजनार्थ प्रस्तावित एकल पटटों के प्रकरणों में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित कि जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उक्त क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर से राशि वसूल की जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :– (11.08.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 135/77/1, 135/77/4 रकबा 05.02.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। ।

आवेदक :– श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को 100 फीट कटाण मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि के पीछे जोजरी नदी स्थित है, अतः नदी के सहारे नदी के मुटाम पश्चात 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
2. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा से मास्टर प्लान की 100 फीट सडक गुजर रही है। उक्त सडक का अंकन ले–आउट प्लान में करवाया जावें।
3. उपरोक्त 100 फीट सडक मार्गाधिकार को जोन पूर्व के प्रकियाधीन जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकन कराया जावें।
4. राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि व सडक के मध्य अन्य सरकारी भूमि स्थित हैं अतः उक्त भूमि की नियमानुसार राशि प्रार्थी से जमा करवायी जावें।

निर्णय

5. आटेदित भूमि के मानचित्र को जोजरी नदी के मुटाम एवं राजस्व सडक के परिप्रेक्ष्य में पुनः सुपरईम्पोज करवाया जावें।
6. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित विद्युत लाईन के संबंध में क्षमता एवं स्थिति बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडॉर का प्रावधान मानचित्र में किया जावें।
7. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार होटल तथा मोटल प्रयेजनार्थ प्रस्तावित एकल पटटों के प्रकरणों में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित कि जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उक्त क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर से राशि वसूल की जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 266/4 रकबा 06.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री इन्द्राराम पुत्र श्री छगनाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गधिकार 100 फीट रखा जावें। सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित विद्युत लाईन के संबंध में क्षमता एवं स्थिति बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडॉर का प्रावधान मानचित्र में किया जावें।
3. रज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 656/6, 656/8 रकबा 41.03.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री डुगरराम, श्री मोहनलाल, श्री हीराराम पुत्रान् श्री पाबुराम

के परिप्रेक्ष्य में
ट प्लान
प्राप्त

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के सडक प्रतिरूप अनुसार राज्य राजमार्ग 95 है। अतः सडक का मार्गाधिकार 200 फीट एवं मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार पट्टे जारी किए जाने से पूर्व योजना में सृजित प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग भूखण्ड के जिला उद्योग केन्द्र / संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लिए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।
3. संशोधित मानचित्र में औद्योगिक भूखण्डों से अन्य उपयोगों की ओर न्यूनतम 9 मीटर सडक अथवा सैटबैक का सुरक्षात्मक प्रावधान किया जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 17 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 652 / 10, 652 / 19 रकबा 02.12.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री देवाराम पुत्र श्री भैराराम जरिये आम मुख्त्यार श्री रघुनाथ पुत्र श्री जीयाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के सडक प्रतिरूप अनुसार राज्य राजमार्ग 95 है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। उक्त प्रावधान दर्शाते हुये प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु देय मानदण्ड लागू होंगे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 652/2 रकबा 05.07.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री बींजाराम पुत्र श्री हरजीराम जी जरिये आममुख्त्यार श्री रघुनाथ पुत्र श्री जीयाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के सडक प्रतिरूप अनुसार राज्य राजमार्ग 95 है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।
2. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल 54.33 वर्गमीटर के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावें।
3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित विद्युत लाईन के संबंध में क्षमता एवं स्थिति बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडॉर का प्रावधान मानचित्र में किया जावें।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 35 रकबा 14.00.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमती ढगली पत्नी श्री ओमाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के सडक प्रतिरूप अनुसार राज्य राजमार्ग 61/बी है। अतः सडक का मार्गाधिकार 200 फीट एवं मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार पट्टे जारी किए जाने से पूर्व योजना में सृजित प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग भूखण्ड के जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लिए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।
3. संशोधित मानचित्र में औद्योगिक भूखण्डों से अन्य उपयोगों की ओर न्यूनतम 9 मीटर सडक अथवा सैटबैक का सुरक्षात्मक प्रावधान किया जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र

लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 168/2 रकबा 05.00.00 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री रावतसिंह भोमिया जी शिक्षण एवम् शोध संस्थान जरिये सचिव श्रीमती चीमू देवी पत्नी श्री पीराराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक प्रतिरूप अनुसार राज्य राज मार्ग पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावें। साथ ही आवदेक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित विद्युत लाईन के संबंध में क्षमता एवं स्थिति बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडॉर का प्रावधान मानचित्र में किया जावें।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 319/149, 314/149 रकबा 04.07.13 व 522.21 वर्गगज पट्टा सुदा भूमि के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री शिवराज जैन व श्रीमती ममता जैन पत्नी श्री दिलीप कुमार जैन

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 190/149/2, 188/149/2, 319/149 से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग

40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं हैं। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है।

2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 22 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौपासनी जांगीर के खसरा संख्या 187/149/2 रकबा 03.01.12 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री प्रकाश गहलोत, श्री दलवीर सिंह गहलोत पुत्रान् श्री गणपतलाल जी व श्री तुलसीराम पुत्र श्री साधुजी

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 189/149/2 वगैरह से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं हैं। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है।
2. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल 326.02 वर्गमीटर के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावें।
3. याजना मानचित्र में सडक एवं सुविधा क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत रखते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

22.11.

एजेण्डा संख्या 23 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 14/10, 14/06 रकबा 01.16.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री डुगरराम, श्री किशन पुत्रान् श्री गोविन्द व श्री रामदयाल पुत्र श्री मंगलाराम जी

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं हैं। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 24 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम रोहिला भाण्डू के खसरा संख्या 72, 72/4, 72/5 रकबा 17.01.00 बीघा के नॉन पॉल्यूटिंग हैण्डीकाफ्ट प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमती नेहा बैद पत्नी श्री मोहित बैद, श्रीमती अंकिता बैद पत्नी श्री हर्ष बैद एवम् श्री मोहित बैद पुत्र श्री निर्मल बैद

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट सडक पर स्थित है, मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावें।
2. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल 165.09 वर्गमीटर के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावें।
3. नॉन पॉल्यूटिंग हैण्डीकाफ्ट उद्योग हेतु प्रार्थी से सम्बधित विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवम् डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किया जावें।

1. औद्योगिक भूखण्ड से अन्य उपयोगों की ओर न्यूनतम 9 मीटर सडक अथवा सैटबैक का सुरक्षात्मक प्रावधान किया जावें। जिसमें 3.6 मीटर चौडा अग्नि सुरक्षा गलियारा रखा जावें एवं शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से अधिक क्षेत्रफल पर नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 211/2 रकबा 02.07.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– मैसर्स मारवाड फुड इण्डस्ट्री प्रा.लि जरिये निदेशक जरिये श्री रविन्द्र भंसाली पुत्र श्री मूलचन्द भंसाली

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित कमीपूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित 60 फीट समर्पित सडक व मास्टर डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 160 फीट चौडी सडक की स्थिति, आस–पास के सभी कमिटमेंटस् अंकित करवा कर आयोजना शाखा एवं जोन स्तर पर जॉच की जावें।
2. आवेदित भूमि का रकबा जमाबन्दी एवं 90/क आदेश में भिन्नता बाबत् जॉचकर जोन द्वारा टिप्पणी की जावें।

एजेण्डा संख्या 26 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तुलेसर चारणान् के खसरा संख्या 193 रकबा 01.02.05 बीघा के पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री राधाकिशन पुत्र श्री देवाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श कर प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.06.2021 के परिप्रेक्ष्य में पेट्रोल पम्प के फिल पॉइन्ट/डिस्पेसिंग यूनिट/वेन्ट पॉइन्ट जो भी नजदीक हो से न्यूनतम 50 मीटर भूमि सम्मिलित करते हुए आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 27 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम केरू के खसरा संख्या 1239/2 रकबा 04.18.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री अर्जुनराम पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 28 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 739, 739/3 रकबा 06.01.12 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री महिपाल टाटिया पुत्र श्री महावीरराज श्रीमती सविता टाटिया पत्नी श्री महिपाल टाटिया

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 29 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 230/1 रकबा 21.08.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री रमेशचन्द्र मीणा पुत्र श्री गुलाबचन्द मीणा, श्रीमती शान्ति मीणा पत्नी श्री रमेशचन्द्र मीणा

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक पर पूर्व में कोई कमिटमेंट आदि की जॉच जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। कोई कमिटमेंट नही होने की स्थिति में आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 30 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 33/15 रकबा 05.00.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री टिकमचन्द पुत्र श्री चिमनाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के सडक प्रतिरूप अनुसार राज्य राजमार्ग 95 है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन बाबत् सम्बधित विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवम् डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
3. पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे में 'कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ का अंकन करने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर 111.11 वर्गगज में निर्माण है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांकःप.18(25)नविवि / सामान्य / 2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 31 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 327 / 650 रकबा 1480.98 वर्गमीटर एवम् 662.59 वर्गमीटर के दो भाग व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– जोधपुर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श कर प्रकरण में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का सर्व सहमति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 32 :– (11.08.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 667, 663, 670, 671, 673 से 677 एकल भूखण्ड क्षैत्रफल 99599.74 वर्गमीटर में से 26000 वर्गमीटर का उपविभाजन बाबत्।

आवेदक :– मैसर्स आदिनाथ बिल्डवेल प्रा.लि

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के अनुसार उपविभाजन का निर्णय लिया गया:–

1. प्रकरण में दो दैनिक समाचार पत्रों में 15 दिवस हेतु आपत्ति सुझाव की आम–सूचना का प्रकाशन करवाया जावें। कोई आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्रकरण को पुनः समिति बैठक में रखा जावें।
2. प्रकरण में सी.एम.जे.ए.वाई, विधि शाखा, लीज व स्वामित्व की रिपोर्ट ली जावें।
3. उक्त उपविभाजन जोविप्रा द्वारा मैसर्स अरिहन्त सुपरस्ट्रक्चरर्स लि. पर लगायी गयी पेन्लटी की जॉच हेतु गठित समिति के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

4. भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावें।

एजेण्डा संख्या 33 :— (12.08.2021) जोन—उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम संत कृपाराम नगर के खसरा संख्या 458/5, 458/19, 458/20 रकबा 27.06.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :— श्री रतनलाल भील पुत्र श्री हरलाल भील, श्री जयराम भील पुत्र श्री हरलाल भील

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित सडक का मार्गधिकार 100 फीट रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग को भविष्य में आने वाले विकास के दृष्टिगत 80 फीट रखा जावें जिसमें प्रस्तुत मानचित्र अनुसार दर्शित 40 फ़ीट सडक के अतिरिक्त 20 फीट भूमि आवेदक की भूमि में से तथा 80 फीट सडक हेतु शेष 20 फीट भूमि सामने की ओर से समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 के.वी. की दो विद्युत लाईनों के नीचे सुरक्षात्मक दूरी का अंकन किया जावें।
3. आवेदित भूमि के समीप स्थित गै. मु. बाला के सहारे—सहारे मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की पुस्तिका अनुसार 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 34 :— (12.08.2021) जोन—उत्तर

विषय :— राजस्व ग्राम संत कृपाराम नगर के खसरा संख्या 458/3, 458/20, रकबा 12.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :— श्री रतनलाल भील पुत्र श्री हरलाल भील, श्री जयराम भील पुत्र श्री हरलाल भील

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित भूमि के सामने (पूर्व दिशा में) स्थित मार्ग को भविष्य में आने वाले विकास के दृष्टिगत 80 फीट रखा जावें जिसमें प्रस्तुत मानचित्र अनुसार दर्शित 40 फीट सडक के अतिरिक्त 20 फीट भूमि आवेदक की भूमि में से तथा 80 फीट सडक हेतु शेष 20 फीट भूमि सामने की ओर से समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले—आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे सुरक्षात्मक दूरी का अंकन किया जावें।
3. आवेदित भूमि के समीप स्थित गै. मु. बाला के सहारे—सहारे मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की पुस्तिका अनुसार 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।

निर्णय

4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम बोरावास के खसरा संख्या 171 रकबा 11.16.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री दुर्गाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि के उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग की चौडाई भविष्य के विकास के दृष्टिगत 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। उक्तानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार सडक मार्गाधिकारों की सुनिश्चितता करते हुए प्रार्थी से नियमानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 124/2, 124/4 रकबा 27.12.00 बीघा के एग्रोबैस इण्डस्ट्रीज योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती कालकी उर्फ कालीदेवी पत्नी स्व. श्री कालुराम, श्री दीपाराम पुत्र स्व. श्री कालूराम, श्री सेटाराम पुत्र श्री पोकरराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि ओसियां–नागौर (Ring Road) सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. उक्त ले–आउट प्लान का अनुमोदन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2020 में उल्लेखित राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019 के तहत किया जा रहा है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार पट्टे जारी किए जाने से पूर्व योजना में सृजित प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग भूखण्ड हेतु राजस्थान कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।
4. आवेदित योजना आवासीय एवं मिश्रित उपयोग में प्रस्तावित है, अतः आस–पास अन्य क्षेत्रो से सुरक्षात्मक दूरी हेतु भूखण्ड संख्या 14 से 18 के पश्चिम दिशा में, भूखण्ड संख्या 1 व 2 के उत्तर दिशा में एवं भूखण्ड संख्या 3 से 5 के पूर्व दिशा में न्यूनतम 9 मीटर सैटबैक रखे जावें। जिसमें 3.6 मीटर का अग्नि सुरक्षा गलियारा एवं शेष क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण का प्रावधान किया जावें।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 37 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम रामनगर भाटीयान् तहसील तिंवरी के खसरा संख्या 442/2 रकबा 06.05.00 बीघा में से 00.10.00 बीघा के लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री आदुराम पुत्र श्री मुकनाराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श कर प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जावें एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावें।
2. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अतः प्रार्थी से आवेदित भूमि में सुरक्षात्मक मानदण्ड किस प्रकार किए जाएँगे, के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावें।

एजेण्डा संख्या 38 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 69/5 रकबा 05–11–11.5 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री सुखाराम पुत्र श्री मांगीलाल

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शित विद्युत लाईन के संबंध में क्षमता एवं स्थिति बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 39 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम भवाद के खसरा संख्या 686/1, 689/8, 689/21, 736/689, 778/689, 740/689 रकबा 28.09.00 बीघा के एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट (एग्रोबेस) योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री रूद्राक्ष एग्रो प्रोसेसिंग प्रा.लि जरिये निदेशक श्री धीरेन कुमार पुत्र श्री फूलसिंह

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरांत 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. उक्त ले-आउट प्लान का अनुमोदन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2020 में उल्लेखित राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत किया जा रहा है।
3. आवेदक द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दी गयी सहमति के क्रम में आवेदित भूमि एवं सडक मध्य में स्थित भूमि की नियमानुसार राशि जोन स्तर से वसूल की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 40 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम भवाद तहसील बावडी के खसरा संख्या 690/21, 690/22 रकबा 1.8526 है0 में से 0.9797 है0 फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती गंवरी देवी पत्नी स्वं श्री शंकरलाल

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि जोधपुर–नागौर जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की पुस्तिका की General Conditions For development Control Regulations के बिन्दु संख्या 16 "Farm houses, Eco-Friendly Houses, Resort & Amusement park comes under Low Density Development Zone. Such activities shall be permissible in all land uses except Park, open spaces, playgrounds & plantation within urbanisable area of Jodhpur MDP-2031 as per prescribed norms, subject to condition that in future as development take place as per master plan use, the same will be used in accordance to the land use specified in MDP-2031." के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा नॉलेजसिटी में फार्म हाउस अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया। उक्त शर्त जोन स्तर पर पट्टे में उल्लेखित की जावें।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय मे कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 41 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा संख्या 72/24 रकबा 02.02.00 बीघा के कृषि आधारित वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– मैसर्स भैरूनाथ कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाउस जरिये प्रो. श्रीमती श्वेता जैन पत्नी श्री जितेन्द्र जैन

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंटस् अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 80 फीट तथा पश्चिम दिशा में 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। उक्त सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार एग्रो बेस वेयरहाउस हेतु संशोधित 90/क की कार्यवाही जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।

3. उक्त ले–आउट प्लान का अनुमोदन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2020 में उल्लेखित राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019 के तहत किया जा रहा है।
4. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन बाबत् जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवम् डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
5. प्रकरण में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार आवासीय भू–उपयोग में कृषि आधारित वेयरहाउस प्रस्तावित किया गया है। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से सैटबैक का अंकन करते हुए मानचित्र जारी किए जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 42 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम मथानिया–द्वितीय के खसरा संख्या 874/1, 874/2 रकबा 04.15.14 बीघा के लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमती कस्तूरी डागा पत्नी श्री रमन डागा, श्री लखन डागा पुत्र श्री रमन डागा

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श कर प्राधिकरण द्वारा बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 10.03.2021 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 1 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार रेलवे सीमा के बाद 100 फीट के स्थान पर 60 फीट सडक का प्रावधान करते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी। साथ ही जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के कम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 43 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम राम नगर के खसरा संख्या 473/1 रकबा 03.19.00 बीघा के कृषि आधारित वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री पवन राठी पुत्र श्री मूलचन्द राठी

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि जोधपुर–मथानिया बाईपास सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। साथ ही दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार के संबंध में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार 100 फीट सडक मार्गाधिकार हेतु आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

2. सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि पर दोनों पार्श्व व पीछे की ओर न्यूनतम 9–9 मीटर सेटबैक रखे जाने होगें। सेटबेक क्षेत्र पूरी तरह से खुला रखा जावें तथा अग्निसुरक्षा गलियारे के रूप में काम में लिया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 44 :– (12.08.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम आंगणवा "मंगल विहार" के खसरा संख्या 201, 201/2, 201/3, 201/4 में दो स्थानों पर आरक्षित ओ.सी.एफ/सुविधा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 2768.16 वर्गगज व 3040. 72 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 5808.88 वर्गगज भूमि के संबंध में।

निर्णय :– उक्त योजना में 5808.88 वर्गगज भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की गयी है जिसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल 2904.44 वर्गगज प्राप्त होता है। इसका इन्द्राज लैंडबैंक/प्रोपर्टी रजिस्टर में किया जाकर उक्त भूमि को स्कूल/हॉस्पीटल/क्लब हाउस हेतु नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें।

एजेण्डा संख्या 45 :– (12.08.2021) सामान्य निर्णय

निर्णय :– ले–आउट प्लान जारी करने से पूर्व इसका अंकन जी.आई.एस आधारित मास्टर शीट व जोनल प्लान कमिटमेंट शीट पर किया जाना आयोजना शाखा के स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

26/08/2021 26/8/21

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 676 – 680 दिनांकः– 26/08/2021

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

26/08/2021 26/8/2021

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 06/2021 वीं बैठक दिनांक 11.08.2021 व 12.08.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
7.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
8.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
9.	श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

26.08.2021 26/8/2021

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर